UPAG010044992022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा।
उपस्थित : रवि कान्त-III, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP6062

<u>सत्र परीक्षण/सेशन केस संख्या–585/2022</u>

राज्य बनाम आशीष।

मु0अ0 संख्या 73/2020
धारा 306 भा0दं0सं0
थाना पिनाहट, जिला आगरा।

<u>दिनांक 10.10.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 8ख पर वादी/अभियोजन के प्राइवेट विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.डी.जी.सी. फौ0 को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

वादी मुकदमा बालकृष्ण आर्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में उसकी रिपोर्ट पर पुलिस थाना पिनाहट के द्वारा मु0अ0सं0 73/2020 अन्तर्गत धारा 302 भा0द0सं0 के तहत आरोपी आशीष, रामसेवक, विमला के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। तदोपरान्त पुलिस थाना पिनाहट के द्वारा विवेचना के उपरान्त गलत तरीके से आरोपी रामसेवक व विमला को प्रकरण से हटाते हुए सिर्फ आशीष के विरूद्ध धारा 306 भा0द0सं0 के तहत न्यायिक दण्डाधिकारी आगरा के समक्ष चालान प्रस्तुत किया। दौरान विचारण वादी बालकृष्ण आर्य जो कि मृतका के पिता हैं उनका मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हो चुका है। उक्त कथनों में साक्षी पी0डब्ल्यू01 बालकृष्ण आर्य के द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतका संध्या के पति द्वारा क्रूरता कारित करने हेतु एवं संध्या की मृत्यु कारित करने हेतु संध्या के पति आशीष, सास विमला एवं ससुर रामसेवक का नाम लिया है, अपने कथनों में कई बार क्रूरता कारित करने हेतु दोषी के रूप में पति आशीष, सास विमला एवं ससुर रामसेवक का नाम लिया है। पी0डब्ल्यू01 के सम्पूर्ण कथनों को देखा जाये तो उसकी साक्ष्य

में यह सिद्ध होता है कि आरोपी आशीष के साथ–साथ उसकी मॉ विमला व पिता रामसेवक भी इस घटना में दोषी हैं। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण चालान डायरी एवं वादी पी0डब्ल्यू01 के कथनों से यह सिद्ध होता है कि घटना में आरोपी आशीष के साथ उसकी मां व एवं पिता समान रूप से सहभागी हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर श्रीमती विमला एवं रामसवेक को धारा 319 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार न्यायहित में तलब करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण आशीष, रामसेवक व श्रीमती विमला देवी के विरूद्व थाना पिनाहट, आगरा पर मु0अ0सं0 73/2020 धारा 302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दर्ज करायी गई। बाद विवेचना विवेचक द्वारा केवल अभियुक्त आशीष के विरूद्ध धारा 306 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में पी0डब्ल्यू01 वादी मुकदमा बाल किशन आर्य का बयान तथा पी0डब्ल्यू02 के रूप में डा0 अनिल कुमार स्याल का बयान अभिलिखित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा पी0डब्ल्यू01 के साक्ष्य से यह तथ्य निकलकर आता है कि वादी मुकदमा व मृतका द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.10.2012 में भी धारा 498ए भा0द0सं0 के अन्तर्गत महिला थाना पड़ाव, ग्वालियर में दर्ज करायी गयी थी जिसमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया था तथा मृतका/पीड़िता श्रीमती संध्या विदा होकर अपनी ससुराल आ गयी थी। पुनः दिनांक 30.08.2016 को महिला थाना पड़ाव, ग्वालियर व जिला कार्यालय महिला सशक्तीकरण को शिकायती प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध दिए गए तथा दिनांक 16.11.2017 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498ए, 294, 506 भा0द0सं0में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। इसके पश्चात अभियुक्त आशीष के यहॉ उसकी बहन रीता उर्फ गुड़िया की शादी थी और अभियुक्त आशीष, उसके पिता रामसेवक, चाचा सुभाष तथा उनका पुत्र मनीष व डा0 राधेश्याम वादी मुकदमा के घर ग्वालियर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके यहॉ पुत्री की शादी है, संध्या को भेज दो, शादी में उसका पहुंचना जरूरी है तथा उन सबने गारण्टी दी थी कि संध्या की देखरेख की हमारी जिम्मेदारी है उसको किसी प्रकार की परेशानी नही होगी, यदि उसे कोई

परेशानी होगी तो हम सब जिम्मेदार हैं, संध्या को वहां से लाने के बाद दिनांक 09.06.2020 को अभियुक्तगण के यहां वादी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता संध्या की मृत्यु हो गयी। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से श्रीमती विमला का कोई स्पष्ट रोल व्यक्त नही होता है। पूर्व में भी सन् 2013 में जो समझौता के आधार पर पीड़िता/मृतका अपनी ससुराल आयी थी उसमें भी विमला देवी के हस्ताक्षर नही हैं तथा पुनः जब रीता उर्फ गुड़िया की शादी के लिए पीड़िता को अभियुक्तगण बुलाकर लाये उसमें भी विमला साथ में नही थी। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर श्रीमती विमला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही है, जबकि अभियुक्त रामसेवक के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलध है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि श्रीमती विमला को धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत तलब करने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही है, जबकि रामसेवक को तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 8ख अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 आंशिक रूप से श्रीमती विमला के संबंध में निरस्त किया जाता है तथा रामसेवक के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त रामसवेक को धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत धारा 306 भा0द0सं0 के अपराध के विचारण हेतु जरिए समन तलब किया जाए।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त रामसेवक दिनांक 30.10.2023 को पेश हो। अभियुक्त आशीष भी नियत दिनांक के लिए जेल से तलब हो।

ह0

(रवि कान्त-III)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।

Digitally signed by RAVI KANT
Date: 2023.10.10 17:35:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court